

27

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-3/9719/2015-16/158

दिनांक:- 4/2/16

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

आफिस आई.डी. 911

विषय:-शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निजी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु सत्र 2015-16 की प्रथम किश्त के पुनर्भरण हेतु बजट आवंटन।

प्रसंग:-आपका पत्रांक शिविरा/माध्य/बजट/बी-3/25250/15-16 दिनांक 01.2.16 महोदय,

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त सत्र 2015-16 की प्रथम किश्त के पुनर्भरण के लिए निर्देशानुसार निम्न लेखामदों में राशि का आवंटन/स्थानान्तरण किया जा रहा है। आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार किया जावे।

मांग संख्या - 24

क्र.स.	बजट मद	आवंटित राशि रूपयों में
1	2202-01-800-14-00-57 (आयोजना व्यय)	10,00,00,000/- (रूपये दस करोड मात्र)

भवदीय,



लेखाधिकारी,

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. निजी सचिव, निजी अनुभाग(निदेशक महोदय)।
4. सहायक निदेशक, शिक्षा का अधिकार अनुभाग कार्यालय हाजा।
5. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान/योजना अनुभाग।
6. रक्षित पत्रावली।



लेखाधिकारी